न्यायालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनॉक 05.04.2021

आदेश

(संख्याः– 172/2021)

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1941 / LXXXVII-CPC/ e-Courts/Allahabad Dated : 05-04-2021 के पैरा 1,2,3 व 4 में जनपद न्यायालयो में दिनॉक 06.04.2021 से न्यायिक कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी गई है–

1. All the Courts (including tribunals) subordinate to the High Court of Judicature at Allahabad shall open to take up the Judicial Work & Administrative matters, **excluding recording of evidence** in trial of cases, as per the existing provisions, rules, guidelines and circulars issued from time to time. However, if the District Judge concerned considers it appropriate, permission for recording of evidence in trials of cases in Courts may be granted, on case to case basis.

2- As soon as the Judicial/ Administrative work is completed, the Judicial Officers and Court Staff may kindly be directed to leave the Court premises.

3. Minimum one or two Courts in each District may be identified for conducting Court proceedings through JITSI Software (LAN Version) . Possibility may also be explored for conducting Court proceedings through the JITSI Meet website (https://meet.jit.si/)

4- The Remand/ Other Judicial Work in respect of under tial Prisoner shall be done through Video Confrence only. JITSI Video Conference Software for Remand / other Judicial work may also be used for the said purpose, wherever required.

अतः माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनॉकित 05.04.2021 में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में दिनॉक 06.04.2021 से जनपद न्यायालय गाजियाबाद में विभिन्न न्यायालय में लम्बित वादो में साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी से अनुमति लेकर ही साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकेगा।

कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अवकाश के दिनो में सम्पूर्ण न्यायालय परिसर व विद्वान अधिवक्तागण के चैम्बर एरिया को पूर्ण रूप से सैनेटाइज कराये जाने के लिए जिला प्रशासन गाजियाबाद, नगर आयुक्त गाजियाबाद व मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया जाय। प्रभारी अधिकारी नजारत व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद सम्पूर्ण न्यायालय परिसर को अपनी निगरानी में सैनेटाइज कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

सभी न्यायालयो में जेल में निरूद्व बन्दियों से सम्बन्धित रिमाण्ड व अन्य न्यायिक कार्य केवल विडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। सभी न्यायिक अधिकारीगण अपने–2 न्यायालय कक्ष में पक्षकारो व विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति को कम से कम रखने का प्रयास करेगें तथा सोशल डिस्टेन्सिंग व कोविड 19 के संक्रमण से रोकथाम के लिए समय–2 पर शासन व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

न्यायालय परिसर की साफ सफाई व समुचित प्रकार से सैनेटाइजेशन के लिए जिला प्रशासन व नगर आयुक्त गाजियाबाद को पत्र लिखा जावे। जनपद न्यायालय परिसर में आने वाले अधिकारीगण, कर्मचारीगण, विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण आदि की थर्मल स्केनिंग किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया जाय।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के अनुपालन हेतु इन निर्देशो को जिला न्यायालय की वेब साइट पर प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति पीठासीन अधिकारी प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय एवं पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुघर्टना न्यायाधिकरण को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश की प्रति सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद को भी अनुपालन हेतु प्रेषित की जावे ।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

05.04.2021

जनपद न्यायाधीश,
गाजियाबाद।